(23)

उत्तर मध्य रेलवे

गोपनीय

प्रधान कार्यालय
सतर्कता शाखा
इलाहाबाद।

पत्र सं. 2017/06/00082/सी/वी1/एन/आगरा.

दिनांकः 20.07.2018

SIV No. 06/2018

मंडल रेल प्रबन्धक ,
उमरे, इलाहाबाद , झांसी एवं आगरा।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, झांसी कारखाना
एवं सिथौली ग्वालियर।

विषय : सेवा निवृत्त/मृतक कर्मचारियों के पक्ष में देय समापन भुगतान के सम्बन्ध में।

एक शिकायत प्रकरण में जांच करने पर यह संज्ञान में आया है कि सेवा निवृत्त/मृतक कर्मचारियों के पक्ष में समस्त समापन देयो का भुगतान (भविष्य निधि की राशि को छोड़कर) किये जा रहे है, उसकी प्रविष्टी उनके सेवा पंजिका में नही की जा रही है। जिसके कारण भविष्य में इस सम्बन्ध में शिकायत होने पर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि इस मामले में सम्बन्धित कर्मचारियों के पक्ष में समापन देयों का भुगतान हो चुका है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में यह प्रस्तावित किया जाता है कि भविष्य में इस तरह के मामलो में किये जाने वाले समापन देयों के भुगतान (भविष्य निधि को छोड़कर) कर्मचाारियो/आश्रितो के पक्ष में किये जाने की प्रविष्टी उसकी सेवा पंजिका में करते हुये सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य दर्ज किया जाये। जिससे भविष्य में समापन देयों के किसी भी मद में दोबारा भुगतान होने की संभावना को रोका जा सके।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर सम्बन्धित लेखा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुये, उक्त का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

इसे वरि.उपमहाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ए.के.साहनी 20/07/18

(ए.के.साहनी)
उप मु.स.अधि./यां.

प्रतिलिपिः

प्रमुख वित्त सलाहकार/उमरे/प्र.का./इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।